48

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : के0सी0 जैन
सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक–928–दो/2006 विरूद्ध आदेश दिनांक 15–05–2006 पारित द्वारा अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग, गवालियर के प्रकरण क्रमांक–166/2005–2006

.....

रामकुमार सिंह पुत्र चौधरी श्यामशंकर सिंह
निवासी–रन्नोद तहसील कोलारस
जिला–शिवपुरी (म0प्र0)

----------आवेदक

विरूद्ध

1– मध्यप्रदेश शासन द्वारा कलेक्टर जिला–शिवपुरी
2– सरपंच ग्राम पंचायत रन्नोद
पर. कोलारस, जिला–शिवपुरी, म0प्र0

----------अनावेदकगण

.....

श्री एस0के0 अवस्थी, अभिभाषक, आवेदक
शासकीय पैनल अभिभाषक, अनावेदकगण

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 20-7-2016को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त ग्वालियर सम्भाग, ग्वालियर के प्रकरण क्रमांक 166/2005–2006 में पारित आदेश दिनांक 15–05–2006 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा ग्राम रन्नोद की शासकीय भूमि सर्वे क्र0 2023 रकबा 0.79 है0 को नोईयत परिवर्तन किया जाकर आबादी घोषित किया गया । अधीनस्थ न्यायालय के इसी आदेश के विरूद्ध आवेदक द्वारा अपर

आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई जो दिनांक 15.05.2006 अस्वीकार की गई । अपर आयुक्त के आदेश दिनांक 15.05.2006 से परिवेदित होकर आवेदक द्वारा यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के अभिभाषक द्वारा तर्क प्रस्तुत कर यह बताया है कि, विवादित भूमि सर्वे क्र0 2023 स्थित ग्राम रन्नोद क्षेत्रफल 0.79 है0 जो ग्राम रन्नोद के निस्तार के रास्ते की भूमि है । आबादी भूमि घोषित करने की आज्ञा देने में कलेक्टर ने भूल की है । उसको आयुक्त द्वारा भी नजरअन्दाज किया गया है । कृषि भूमि सर्वे क्र0 2024, 2026, 2027, 2028, 2029 एवं 2030 स्थित ग्राम रन्नोद विवादित भूमि सर्वे 0.79 है0 के आधे भाग 0.40 से लगी हुई है व आवेद का निस्तार होकर रास्ता है । आबादी भूमि घोषित होने से आवेदक का उसके खेतों पर जाने का रास्ता ही बन्द हो जावेगा । विवादित भूमि के आस–पास ग्राम का कोई क्षेत्र नहीं है चारों तरफ कृषि भूमि है । ग्राम की आबादी क्षेत्र करीब विवादित भूमि से डेढ़ किलोमीटर दूरी पर है । जिस पर अपीलीय न्यायालय ने बिना विचार किये अपीलीय आदेश पारित किया है । ग्राम रन्नोद ने मनमानी तरीके अपनाकर ग्रामीण जनता की राय लिए बिना विवादित भूमि को आबादी घोषित किया जाने की सहमति दिया जाना प्रतीत होता है ऐसी सहमति से जिससे ग्रामीण जनता परेशान हो व उनके रास्ते का निस्तार प्रभावित हो, नहीं दी जा सकती । फिर भी अधीस्थ न्यायालय द्वारा विधि विपरीत आदेश पारित किया गया है जो कि निरस्त किये जाने योग्य है ।

4/ उभयपक्ष के तर्क सुने गये तथा अभिलेखों का अवलोकन किया गया । अभिलेखों के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि ग्राम पंचायत रन्नौद के प्रस्ताव ठहराव दिनांक 24.01.95 के द्वारा आलोच्य भूमि को आबादी घोषित किए जाने का प्रस्ताव पारित किया गया । इस प्रस्ताव के आधार पर विधिवत इश्तहार जारी किया जाकर आपत्तियां आहूत की गई, चूँकि कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई । इसीलिये अधीनस्थ न्यायालय ने विधिवत प्रस्ताव प्राप्त कर आलोच्य भूमि को आबादी घोषित कर दिया। संहिता की धारा 243 के अंतर्गत कलेक्टर को ग्राम की दखल रहित भूमि को आबादी घोषित करने के अधिकार भी दिए गये है । ग्राम पंचायत ने भी विधिवत प्रस्ताव प्रारित किया है । चूँकि आवेदक के द्वारा जांच अधिकारी के समक्ष कोई आपत्ति भी निर्धारित अवधि में प्रस्तुत नहीं की है । मात्र एक व्यक्ति विशेष के

लाभ को दृष्टिगत रखते हुये सार्वजनिक हित को अनदेखा नहीं किया जा सकता है । आवेदक का तर्क बेबुनियाद है । क्योंकि अभिलेख से यह प्रमाणित होता है कि समय–समय पर विभिन्न न्यायालयों द्वारा स्थंगन का आदेश जारी किए जाने से कार्यवाही रूकी रही है । इसका आशय यह कदापि नहीं है कि ग्राम में आबादी भूमि की आवश्यकता ही नहीं है । अधीनस्थ न्यायालय का आदेश उचित है और इसमें किसी के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है ।

अतः आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी बलहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय का आदेश यथावत रखा जाता है ।

(के0सी0 जैन)
सदस्य,
राजस्व मण्डल,मध्प्रदेश,
ग्वालियर,